

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— संस्था/चि०अ०/एटी/प०२/११/ १३

दिनांकः— १५/०३/११

—: आदेश :-

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशालय समसच्यक क्रमांक 11 दिनांक 14/03/2011 के तहत जिन चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे जब तक कि उनके स्थान पर राजस्थान लोक सेवा आयोग 2011 से चयनित नव नियुक्त चिकित्सक अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया जाता है।

*(१५/३/११)*  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
- 3 निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, प०क०/एड्स, राजस्थान जयपुर।
- 4 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
- 5 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 6 संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 7 प्रमारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को आज ही विभागीय वेव साईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- 8 आदेश पत्रावली/निजि पत्रावली।

*(१५/३/११)*  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर